

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रामपंचायत
ग्रामपंचायत

विधायक

जनपद-

ग्राम पंचायत में दिनांक 17/6/2023 को ग्राम पंचायत की एक वैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक वैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनुजाती / जनजाती / वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे/भूमिहीन) उम्र	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाइल नं
1	सीता सिंह	क्षत्रिय 50	अध्यक्ष	7524804804
2	संतील यादव	क्षत्रिय 35	सचिव	8400762328
3	पंकज सिंह	क्षत्रिय 40	कोषाध्यक्ष	8127414703
4	मुरेश चन्द्र भारती	यासी 47	सामान्य सदस्य	8652375692
5	संयोग सिंह	क्षत्रिय 53	सामान्य सदस्य	7755883340
6	उमनील	क्षत्रिय 39	सामान्य सदस्य	9119678571
7	शुभमि तिलारी	क्षात्रमण 28	सामान्य सदस्य	9984806104
8	पवन सिंह	क्षत्रिय 33	सामान्य सदस्य	9044555789
9	राजेन्द्र कुमार	वामा 52	सामान्य सदस्य	7525996892
10	महेन्द्र कुमार	वासी 51	सामान्य सदस्य	9695641685
11	सोनी देवी	शूल 28	सामान्य सदस्य	8960210493
12	शुभमा सिंह	क्षत्रिय 50	सामान्य सदस्य	9956810917
13	कुलुम सिंह	क्षत्रिय 58	सामान्य सदस्य	9118542892
14	जाहुरी	मुखिलय 57	सामान्य सदस्य	8127947751
15	फीटो देवी	वामा 30	सामान्य सदस्य	7458998352

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उद्यित कार्यवाही करें।

श्रीनं

- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संधालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की लपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आदर्शतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकि विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध प्रत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध करायें तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समर्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल यातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपग्रेडताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या निर्माण
1	सौलभ सिंह	अध्यक्ष	सौलभ सिंह
2	सतीष पादव	सचिव	सतीष पादव
3	दंकड़ सिंह	कोषाध्यक्ष	दंकड़ सिंह
4	मुरेश गन्ध गारी	सामान्य सदस्य	मुरेश गन्ध गारी
5	संदीप सिंह	सामान्य सदस्य	संदीप सिंह
6	उनीनेश सिंह	सामान्य सदस्य	उनीनेश सिंह
7	शुभम तिलारी	सामान्य सदस्य	शुभम तिलारी
8	पवन सिंह	सामान्य सदस्य	पवन सिंह
9	रघुनंदन	सामान्य सदस्य	रघुनंदन
10	नंदीदास कुमार	सामान्य सदस्य	नंदीदास कुमार
11	सीनी देवी	सामान्य सदस्य	सीनी
12	मुलमा सिंह	सामान्य सदस्य	मुलमा सिंह
13	कुमुद सिंह	सामान्य सदस्य	कुमुद सिंह
14	जाहरा	सामान्य सदस्य	जाहरा
15	कोटा देवी	सामान्य सदस्य	कोटा



सौलभ सिंह